

समाहरणालय, कटिहार।

स्थापना प्रशाखा



अखिलेश कुमार बि०प्र०से०

वरीय उप समाहर्ता, कटिहार।

:- +91-9934908890

E-mail- estt-kat-bih@nic.in

--: आ दे श :-

रेल पुलिस अधीक्षक, कटिहार के पत्रांक-58/र०का०, दिनांक 11.01.2019 से प्राप्त अधियाचना के क्रम में कार्यपालक सहायकों के जिला स्तरीय पैनल के निरंतरता में आरक्षण कोटिवार कार्यपालक सहायक को नियोजन के निमित्त संविदा के आधार पर मिशन द्वारा निर्गत शर्तों के अधीन कार्य करने के लिये जिला पदाधिकारी, कटिहार के संचिका आदेश (संचिका संख्या-33-02/18) दिनांक 21.02.2019 के आलोक में निम्न वर्णित कार्यपालक सहायकों की सेवा रेल पुलिस अधीक्षक, कटिहार को भेजा जाता है। रेल पुलिस अधीक्षक, कटिहार द्वारा नियोजन के पश्चात् संबंधित कार्यपालक सहायक को संविदा राशि का भुगतान संबंधित विभाग में उपलब्ध संसाधन से किया जायेगा।

नियोजन हेतु आवश्यक शर्त : -(क) संबंधित अभ्यर्थियों को योगदान के समय शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र एवं उसकी एक स्व० अभिप्रमाणित छाया प्रति समर्पित करना होगा।

(ख) नियोजित अभ्यर्थियों को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके पास निम्नांकित हार्डवेयर उपलब्ध हैं।

1. एक डेस्कटॉप 2. एक प्रिन्टर (बैलेक एण्ड व्हाईट) 3. एक यु०पी०एस० 4. इन्टरनेट कनेक्शन
(ग) नियोजित अभ्यर्थी को बी०पी०एस०एम० द्वारा निर्धारित दर पर मानदेय की भुगतान की जायगी।
(घ) हार्डवेयर के लिए कोई राशि देय नहीं होगी तथा इन्टरनेट कनेक्शन का बिल भुगतान नियोजित अभ्यर्थी द्वारा किया जायगा।

(ङ) नियोजन कार्यालय द्वारा मात्र पेपर एवं कार्टीज देय होगी।

(च) नियोजन की अवधि एक वर्ष के लिए होगी। आवश्यकतानुसार अवधि बढ़ाई जा सकती है।

(छ) नियोजन पूर्णतः अस्थायी है, इसे बिना कारण बताये किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

क्र०	रोस्टर बिन्दु	आरक्षण की स्थिति	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	Applicant ID	अभ्युक्ति
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
1	890	पिछड़ा वर्ग महिला	श्री सचिन कुमार	श्री श्याम नाथ गुप्ता	KAT002292	
2	891	अनारक्षित महिला	श्री मृत्यंजय लाल दास	श्री योगेन्द्र नाथ दास	KAT002265	

संबंधित अभ्यर्थी को आदेश दिया जाता है कि सभी प्रमाण पत्रों की मूल एवं छाया प्रति के साथ रेल पुलिस अधीक्षक, कटिहार के समक्ष दिनांक 28.2.19 तक उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अधियाची पदाधिकारी अपने स्तर से उपरोक्त अभ्यर्थी के नियोजन की कार्रवाई करने की कृपा करेंगे। निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होने पर यह समझा जायेगा कि आपको इस नियोजन की आवश्यकता नहीं है, ऐसी स्थिति में आपका नियोजन स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा भविष्य में पैनल की अभ्यर्थिता का दावा मान्य नहीं होगा।

जिला स्थापना उप समाहर्ता,
कटिहार।

ज्ञापांक-213/स्था० कटिहार, दिनांक-22-02-19

प्रतिलिपि:- रेल पुलिस अधीक्षक, कटिहार की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला आई०टी० प्रबन्धक, कटिहार को निदेश दिया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थी को उक्त आशय की सूचना ई-मेल/एस०एम०एस० के माध्यम से भेजना एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:- संबंधित कार्यपालक सहायकों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला स्थापना उप समाहर्ता,
कटिहार।